न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 06/2024 बउनवानी प्रियंका गोत्तम बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0म पत्नि श्री देवप्रिय गौत्तम जाति ब्राहमण निवासी 1/506,हाउसिंग बोर्ड,स0मा0 **GCMS No-2024/16**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.3.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुई। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.1.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. देवप्रिय गौत्तम वरिष्ठ सहायक गोपनीय अनुभाग जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर की माह जून,2023 से दिसम्बर,2023 तक वेतन स्लीप चाहिए।
2. देवप्रिय गौत्तम की माह जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की उपस्थिति रजिस्टर की प्रतिलिपि चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधेपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधेपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुई। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधेपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक प.13(1)(07)/सूकाअ/2024/208 दिनांक 26.2.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2024 के बिन्दु संख्या 1, 2 मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष एवं व्यक्तिगत(निजी) सूचना होने के कारण ,सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 8(1)(जे) एवं धारा 11(1) के तहत देय नही है होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे जरिये पत्रांक 63 दिनांक 18.1.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.01.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2 मे चाही सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित नही हो रहा है। अपीलान्ट द्वारा चाही गयी उक्त सूचना, सूचना का अधिनियम की धारा 8 (1)(जे) एवं 11(1) के तहत वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की श्रेणी मे आती है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या 10044/2010 उनवानी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभास चंद्र अग्रवाल मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 मे भी ऐसी व्यक्तिगत सूचना किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नही करवाने बाबत निर्णय पारित किया गया है। इसलिए उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग जयपुर में प्रार्थीया [illegible] RIC/SMDH/A/2021/ 112603 उनवानी श्रीमति प्रियंका गोत्तम बनाम राज्य [illegible] अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में पारित निर्णय [illegible] पक्ष की सूचना नही देने बाबत लिखा गया है। ऐसी स्थिति [illegible] खारिज की जाती है। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे [illegible] सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:29:52 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner